KUMAR JANGID

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,

मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर-302001 दूरभाष 0141-[illegible]

क्रमांक एफ–4 / मु / यात्रा / (लेखा) / 110 / 2023 / 2228 दिनांक:– 28.03.2023

कार्यालय आदेश

वर्ष 2023–24 के बजट पर सामान्य वाद–विवाद पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणा के बिन्दु संख्या –28 की पालना के क्रम में शासन उप सचिव, परिवहन, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की स्वीकृति क्रमांक प.17 (5)परि / 2023 दिनांक 24.03.2023 एवं वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या 102300715 दिनांक 21.03.2023 के माध्यम से कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को रोडवेज की साधारण एवं एक्सप्रेस बसों के साथ–साथ अन्य सभी श्रेणी की बसों यथा सुपर, डीलक्स, वोल्वो में भी राज्य की सीमा में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृति की अनुपालना में कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को रोडवेज की साधारण एवं एक्सप्रेस बसों के साथ–साथ अन्य सभी श्रेणी की बसों यथा सुपर डीलक्स, वोल्वो आदि में भी राज्य की सीमा में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। **यह सुविधा दिनांक 01 अप्रेल 2023 से देय होगी।**

इस रियायती यात्रा से निगम पर पडने वाले वित्तीय भार की गणना पूर्वानुसार आदेश संख्या एफ 4/मु./यात्रा./लेखा/2011/1335 दिनांक 07.06.2011 के अनुसार करते हुये प्रतिमाह अन्य निःशुल्क/रियायती यात्राओं के वित्तीय भार की सूचनाओं के विवरण के साथ सांख्यिकी शाखा, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित की जावेगी। जिसके आधार पर उक्त राशि के पुर्नभरण हेतु राज्य सरकार को सूचना भिजवाई जा सके।

(नथमल डिडेल)
प्रबन्ध निदेशक

दिनांक:– 28.03.2023

क्रमांकः–एफ–4/मु./यात्रा/लेखा/110/2023/2228
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय, रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, परिवहन, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को पत्रांक प.17 (5)परि/2023 दिनांक 24.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त विभागाध्यक्ष............. रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
5. समस्त जोनल मैनेजर्स................ रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक/सयुंक्त महाप्रबन्धक(.............), रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
7. उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक(...........), रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
8. उप महाप्रबधक (आई.टी.), रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित आदेश वेबसाईट पर उपलब्ध कराना एवं तदानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें।
9. लेखाधिकारी (टिकिट भण्डार).................. रा.रा.प.प.निगम।
10. मुख्य प्रबन्धक....................... रा.रा.प.प.निगम।

(संजीव कुमार पाण्डेय)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

I.T./1755
/04/23